(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 314–पीबीआर/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 418/2001–02 अपील

1– नारायण बल्द पुन्नु लोधी
2– प्रभूदयाल बल्द पुन्नु लोधी
ग्राम हसनपुर तहसील व जिला दतिया —आवेदकगण

विरूद्ध

1– दशरथ नावालिग 2– अतर सिंह नावालिक
3– रामनरेश नावालिग पुत्रगण रामचरण सरंक्षक पिता
4– प्रतासिंह नावालिक 5– अरबिन्द नावालिग पुत्रगण
आजाराम संरक्षक पिता राजाराम
6– विजयप्रताप पुत्र हरप्रसाद लोधी
7– आत्माराम नावालिग पुत्र हरप्रसाद संरक्षक पिता
8– देवेन्द्र सिंह नावालिग 9– आजाद सिंह नावालिग
10– खलक सिंह नावालिक तीनों के संरक्षक पिता
11– कु. पुष्पा पुत्री कुवराम लोधी सभी निवासीगण
ग्राम हसनपुर तहसील व जिला दतिया ––– अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 07 – 12 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 418/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम हसनपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 80 रकबा 0.150 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 45 में से रकबा 0.781 हैक्टर (आगे जिसे वादित भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमिस्वामी गैबू ने आवेदकगण को विक्रय की एंव विकय्र पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर आदेश दि. 19-12-1993 से केतागण का नामान्तरण किया गया।

बंदोवस्त के दौरान सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा आवेदकगण को उक्त भूमि का पटटा न देने से सहायक बंदोवस्त अधिकारी को तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी दतिया ने प्रकरण क्रमांक 3312 अ-6-अ/ 1993-94 पॅजीबद्व किया तथा जांचोपरांत आदेश दिनांक 21-6-95 पारित करके आवेदकगण का आवेदन अमान्य कर दिया गया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी दतिया के आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने कलेक्टर दतिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर दतिया ने प्रकरण क्रमांक 50/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-11-2000 से अपील अस्वीकार की। कलेक्टर दतिया के आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 418/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-2007 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी को आवेदकगण के हित में नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर आदेश दिनांक 19-12-1993 से हुये नामान्तरण को शून्य मानने का हक नहीं था। वादित भूमि विक्रय पत्र से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया गया है एंव आज दिनांक तक आवेदकगण क्रय की गई भूमि पर खेती करते आ रहे हैं इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयें के आदेश निरस्त किये जॉय।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 418/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-2007 से आवेदकगण की अपील इस प्रकार विवेचना करते हुये अस्वीकार की है :-

अपीलार्थीगण व्दारा उक्त भूमि को गैबू से वर्ष 1993 में क्रय की थी। विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण का नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 में पारित आदेश 19-12-93 को नामांत्रण हो चुका था। बंदोवस्त पूर्ण हो जाने के वाद जब अपीलार्थीगण को बंदोवस्त समाप्ति के वाद पट्टा प्राप्त नहीं हुआ तब उसके व्दारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी दतिया के समक्ष अमल कराने वावत आवेदन पत्र पेश किया गया। प्रकरण में विचार करने योग्य बिन्दु यह है कि जिस समय गैबू व्दारा अपीलार्थीगण को विक्रय किया गया था, उस समय गैबू पुत्र पल्टू के नाम कोई भूमि शेष ही नहीं थी, वह अपनी संपूर्ण भूमि को प्रतिअपीलार्थीगण को विक्रय कर चुका था और वर्ष 1992-92 की बी-1 से गैबू का नाम निरस्त कर दिया गया था। जब गैबू भूमिस्वामी ही नहीं था तो उसे व्दारा किया गया विक्रय पत्र गलत है।

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 31-12-2007 में विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष अनुसार कलेक्टर दतिया ने आदेश दिनांक 7-11-2000 से आवेदकगण की अपील ठीक ही निरस्त की है इसी प्रकार सहायक बंदोवस्त अधिकारी दतिया ने आदेश दिनांक 21-6-95 से आवेदकगण व्दारा की गई मांग को गलत आधारों पर आधारित होना पाकर अमान्य किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 418/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर